कार्यालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 66/2024 (GCMS 2024/242)
(आईटीआई पोर्टल नं. 212313880919019)

विवेक गुप्ता निवासी क्यू–4, ग्राउण्ड फ्लोर, आनन्द विहार, श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 83026–74106)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

<u>बनाम</u>

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर

<u>11.12.2024</u>

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी विवेक गुप्ता स्वयं उपस्थित हुए और निवेदन किया कि उसके द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत एक बिन्दु की सूचना चाही थी। तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने उसे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई और उसका प्रार्थना पत्र उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को हस्तांरित कर दिया। उप पंजीयक, श्रीगंगानगर ने उसे आज दिनांक तक कोई सूचना उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए उसने सूचना का अधिकारी अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र के द्वारा तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थी:

> Kindly Provide a certificed copy of the registry from the property located at I30, Jawahar Nagar, Near Railway Station, Mall Godam Road, Sri Ganganagar, Rajasthan

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:33:58 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने प्रार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को हस्तान्तरित करते हुए, प्रति इस कार्यालय एवं अपीलार्थी को भिजवाते हुए निम्नानुसार सूचित किया है:

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

मूल की प्रार्थना पत्र प्रार्थी विवेक गुप्ता, सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार प्रार्थी द्वारा बैयनामा/डीड की प्रति चाही गई थी जिसका मूल प्रार्थना पत्र पूर्व में कार्यालय के पत्रांक 109 दिनांक 14.10.24 के द्वारा जो की आपके कार्यालय से संबंधित होने के कारण मूल ही प्रार्थना पत्र भिजवाया गया था।

उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रार्थी के द्वारा प्रथम अपील श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के कार्यालय में प्रस्तुत की है, मूल पत्र मय प्रार्थना पत्र भेजकर निवेदन है कि उक्त प्रकरण में समुचित कार्यावाही करना सुनिश्चित कर इस कार्यलय को भी सूचित करें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

चूंकि तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपीलार्थी का मूल प्रार्थना पत्र उप पंजीयक, श्रीगंगानगर से सम्बन्धित होने के कारण, उन्हें स्थानान्तरित किया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत **उप पंजीयक द्वारा सूचनाओं के सम्बन्ध में पारित आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अधिकारी के रूप में निम्न** हस्ताक्षरकर्त्ता **सुनवाई हेतु अधिकृत नहीं है, बल्कि इस हेतु महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर के पत्रांक एफ2(30)सू.अ./नियुक्ति/मुख्यालय/2337 दिनांक 25.11.2016 के अनुसार प्रथम अपील अधिकारी के रूप में संबंधित उप** महानिरीक्षक, **पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग अधिकृत है।** इसलिए अपीलार्थी वांछित सूचनाओ के सम्बन्ध में उप महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, हनुमानगढ़ के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है **आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर एवं उप पंजीयक, श्रीगंगानगर को पालनार्थ** एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकम़ील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Manju
Date: 2025.07.23 15:33:58 IST
Reason: SelfAttested